



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) /

Kendriya Vidyalaya Sangathan(HQ)

18 संस्थागत क्षेत्र / 18, Institutional Area

शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली-110016 / New Delhi – 110016

दूरभाष / Telephone No. 011-26858570

Email:lekhakvshq@gmail.com

एफ.110239/51/2024/बजट/केवीएस(मुख्या.)

दिनांक: 01.07-2024

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 जून, 2024 जो कि केन्द्रीय सिविल सेवा(अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन से संबंधित है।

“सरोगेसी की दशा में, सरोगेट के साथ अधिष्ठाता माता जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, एक अथवा दोनों के सरकारी सेवक होने की दशा में, 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुदत्त तथा पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा” । सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है।

Govt of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training Notification dated 18th June, 2024 regarding amendment in CCS Leave Rules, 1972.

“In case of surrogacy, the surrogate, as well as the commissioning mother with less than two surviving children, may be granted maternity leave of 180 days, in case either or both of them are Government servants. And paternity leave of 15 days within the period of 6 months from the date of delivery of the child.” - reg. **is uploaded in the website for information and necessary action.**

(संजय कुमार)

उपायुक्त (वित्त)

वितरण:

1. उपायुक्त, के.वी.एस., सभी क्षेत्रीय कार्यालय
2. वित्त अधिकारी, के.वी.एस., सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी/ अनुभाग, के.वी.एस. (मु.)।
4. प्राचार्य, के.वी. काठमांडू, मास्को एवं तेहरान।

5. महासचिव, सभी मान्य संघ।
6. निदेशक, जीट ग्वालियर, मुंबई, मैसूर, चंडीगढ एवं भुबनेश्वर।
7. उपायुक्त/ सहायक आयुक्त ईडीपी, केवीएस(मु.) को केवीएस(मु.) की वैबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements)" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. आर टी आई, के वी एस (मु.)।
9. गार्ड फ़ाइल।